



महोबा पुलिस

दिनांक- 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 779/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 24.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

सर्किल नगर/थाना खन्ना

दिनांक- 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 780/26

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थानाध्यक्ष खन्ना के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.09.2026 को 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 मौजीलाल वर्मा मय हमराह का0 सिकन्दर द्वारा वारण्टी अभियुक्त सौधा प्रजापति पुत्र हिन्दपाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम पुरा, थाना खन्ना, जनपद महोबा को ग्राम शायर, थाना विवार, जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मु0अ0सं0 64/2020, केस नं0 284/2022, धारा 352/504/506 भादवि में माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत वारण्टी था।

उ0नि0 हीरामणि तिवारी मय हमराह का0 रामकुमार सरोज द्वारा वारण्टी अभियुक्त राजू पुत्र बदलू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खैरादा, थाना मटौंध, जनपद बांदा को न्यूरिया सिरसीकलां मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मु0अ0सं0 97/2021, केस नं0 3657/2022, धारा 279/304ए/427 भादवि में माननीय न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत वारण्टी था। गिरफ्तार अभियुक्तगण को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किए जाने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सौधा प्रजापति पुत्र हिन्दपाल, उम्र 46 वर्ष, निवासी ग्राम पुरा, थाना खन्ना, जनपद महोबा
2. राजू पुत्र बदलू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खैरादा, थाना मटौंध, जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
2. का0 सिकन्दर
3. उ0नि0 हीरामणि तिवारी
4. का0 रामकुमार सरोज





दिनांक- 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 781/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर/थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री सन्तोष कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अनुज कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 24.09.2026 को वारण्टी अभियुक्त अशोक यादव पुत्र मइयादीन, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम रैवारा, थाना कबरई, जनपद महोबा को ग्राम रैवारा, थाना कबरई, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मु0नं0 1357/17 एवं 262/17, धारा 457/380/411/413 भादवि, जनपद महोबा से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत वारण्टी था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अशोक यादव पुत्र मइयादीन, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम रैवारा, थाना कबरई, जनपद महोबा

सम्बन्धित अभियोग-

मु0नं0 1357/17 एवं 262/17, धारा 457/380/411/413 भादवि, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह, थाना कबरई, जनपद महोबा





महोबा पुलिस

दिनांक- 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 782/26

सर्किल कुलपहाड़ / थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद-

दिनांक 23.09.2026 को समय 15.30 बजे थाना कुलपहाड़ क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रावतपुरा खुर्द से सूचना प्राप्त हुई कि मोहन यादव ने अपनी ही मां (श्रीमती मूला देवी पत्नी सबल सिंह यादव उम्र करीब 45 वर्ष) को कुल्हाड़ी मार दी है, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी है।

सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मय फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी।

घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 224/2026 धारा 103(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा उक्त घटित घटना के संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी।

गठित पुलिस टीम ने दिनांक- 23.09.2026 को मुकदमा उपरोक्त की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहन सिंह यादव पुत्र सबल सिंह यादव उम्र करीब 25 वर्ष निवासी रावतपुरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मुढारी रेलवे क्रासिंग के पास रेलवे स्टेशन कुलपहाड़ के प्लेटफार्म न0 2 जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोहन सिंह यादव की जामा तलाशी के दौरान घटना कारित करने वाला आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहन सिंह यादव पुत्र सबल सिंह यादव उम्र 25 वर्ष निवासी रावतपुरा खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी विवरण -

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र SHO थाना कुलपहाड़
2. हे0का0 सुमित कुमार यादव
3. का0 हवन कुमार
4. का0 विक्की चौधरी





दिनांक- 24.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 783/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर / कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में गठित पुलिस टीम में 30नि0 श्री आकाश मौर्या मय हमराह कां0 अतुल कुमार सिंह एवं कां0 रूपलाल द्वारा आज दिनांक 24.09.2026 को एक नफर अभियुक्त टिकू बाबा उर्फ राज वर्मा पुत्र हरप्रसाद, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मोहल्ला गांधीनगर, प्राइवेट बस स्टैंड महोबा, थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा को महोबा मोड़ पर बहद ग्राम काजी बम्हौरी के पास थाना कबरई, जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. टिकू बाबा उर्फ राज वर्मा पुत्र हरप्रसाद, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मोहल्ला गांधीनगर, प्राइवेट बस स्टैंड महोबा, थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 श्री आकाश मौर्या
2. कां0 अतुल कुमार सिंह
3. कां0 रूपलाल



